तत्काल

संख्या 20016/6/76-अ0भा0से0(दो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1982

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त/भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का वेतन -नियतन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियमावली की-अनुसूची-।। के भाग-। के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है । अनुसूची-।। के भाग-। के खण्ड (2) के अनुसार प्रारंभिक वेतन अधिकारी द्वारा राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतनमान में अपनी मूल हैसियत से लिए जा रहे वेतन से ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा । किन्तु यदि उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी नियुक्ति के समय राज्य सिविल सेवा के किसी "उच्चतर वेतनमान" में केवल स्थानापन्न हैसियत से ही वेतन ले रहा हो, तो उसका वेतन अनुसूची-।। के भाग-। के खण्ड (।) के अधीन निर्धारित किया जाएगा और इस प्रकार से निर्धारित वेतन और राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतनमान के स्थानापन्न वेतन के बीच की शेष राशि को विशेष वेतन अतिरिक्त वेतन और अन्य प्रकार के वेतन सहित भविष्य की वेतन वृद्धियों तथा वेतन की बढ़ोतरियों में वैयक्तिक माना जाएगा । केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि बहुत से मामलों में यद्यपि राज्य सिविल सेवा के सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी नियुक्ति के समय राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतनमान में लम्बी कार्यावधि के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी अनुसूची-।। के भाग-। के खण्ड (2) के अधीन उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि संबंधित ग्रेडों में स्थायी रिक्तियों के अभाव में राज्य सरकारें उन्हें स्थायी करने की स्थिति में नहीं होती हैं । इसके फलस्वरूप इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी पदोन्नति के समय राज्य सिविल सेवा में बहुत वर्षों तक स्थानापन्न वेतन की स्टेज पर रुके रहने की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । यह

..... 2

महसूस किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतन मान में स्थानापन्न हैसियत से लिए जा रहे वेतन का लाभ राज्य सरकार के इस प्रमाण पत्र की शर्त पर दिया जा सकता है कि यदि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त न किया गया होता तो वे राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे होते ।

2- किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी नियुक्ति की तारीख को राज्य सिविल सेवा के "उच्चतर वेतनमान" में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो और जिसके मामले में अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता हो तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसका वेतन अनुसूची-।। के भाग-। (जो संलग्न मसौदा अधिसूचना के खण्ड 3(।।) के अनुरूप ही है) के खण्ड (3) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

3- तदनुसार यह प्रस्ताव है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम की अनुसूची-।। के भाग-। के संगत उपबन्धों में संशोधन किया जाए जैसाकि इस पत्र से संलग्न मसौदा अधिसूचना में दिया गया है । भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों पर स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों पर अपनी स्थानापन्न नियुक्ति के समय राज्य सिविल सेवा के "उच्चतर वेतनमान" में वेतन ले रहे हों, उनका वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम की अनुसूची-।। के भाग-।।। को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से विनियमित किया जाएगा ।

4- यह निवेदन है कि संलग्न मसौदा अधिसूचना पर राज्य सरकारों की टिप्पणी/राहमति इस विभाग को 28 फरवरी, 1982 तक भेज दी जाए । यदि उक्त तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है ।

भवदीय,

(चित्रा चोपड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 20015/6/76-अ0भा0से0 (दो) नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1982

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रेषित:-

1- गृह मंत्रालय (संघ राज्य क्षेत्र (से0) अनुभाग ।
2- गृह मंत्रालय (भारतीय पुलिस सेवा अनुभाग)
3- कृषि विभाग (भारतीय वन सेवा अनुभाग)

(चित्रा चोपड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार